राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –245 / 2014 / टोंक

मैसर्स अमित इन्डस्ट्रीज, निवाई ....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत टोंक ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार

अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा

उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06.04.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प कोटा (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा गया है) के अपील सं. 09 / सीएसटी / 2012–13 / टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 11. 11.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि वर्ष 2008–09 में रू0 1439305 / – के ''सी'' फॉर्म प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.12.2010 पारित करते हुए कम प्रस्तुत किये गये ''सी'' फार्म पर रू0 36237 / – का अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया। इसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.12. 2011 को रू0 560425 / – के ''सी'' फार्म प्रस्तुत करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज समाप्त करने का निवेदन किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में ''सी'' फार्म प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई। उक्त कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.11.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि के.बि.क.अ. की धारा 9(2) के तहत् ही के.बि.क.अ. का कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाता है बल्कि धारा 9(2) के.बि.क.अ. सपठित धारा 23, 24 वेट ऐक्ट के स्थानीय कानून के

लगातार.........................2.

06/04/17

तहत् प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। जबकि राज्य सरकार ने 30.09.2012 तक पूर्ण किये गये कर निर्धारणों से संबंधित बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने का समय 30.06.2013 तक बढ़ा दिया है तो अपीलार्थी द्वारा इसके पूर्व प्रस्तुत किये गये 'सी' फार्म को स्वीकार किया जाकर आरेपित अतिरिक्त कर एव ब्याज समाप्त करना चाहिये।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आग्रिम कथन किया कि विवादित बकाया मांग राशि केन्द्रीय अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा प्रारूप यथा ''सी'' से संबंधित है, जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन्हें निर्धारण अधिकार द्वारा बिना विचार किये ही अस्वीकार कर दिया गया। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कतिपय घोषणा प्ररूप ''सी'' प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तुत कर, मूल निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि में संशोधन हेतु निवेदन किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि केन्द्रीय विक्रय (पंजीकरण एवम् पण्यावर्त) कर नियमों, 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानों व अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, जो विधिअनुकूल नहीं है। अपने कथन के समर्थन में **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम् हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्टशन लि. 94 एस.टी.सी. 410, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा मैसर्स रॉकवेल माईक्रोन मिनरल्स, प्रा. लि. राजस्थान बनाम् वा.क.अ. राजसमंद (2012) 33 टैक्स अपडेट 246 व मैसर्स सन्नी मिनरल्स, अलवर 30 टैक्स अपडेट 282 को** प्रोद्धरित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से दिनांक 19.7.1985 का आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र की ओर ध्यानाकर्षित किया कि उक्त जारी परिपत्र में सरकार की मंशा स्पष्ट है कि :—

''कर निर्धारण कर से छूट प्राप्त करने के लिए अथवा घटी हुई कर दर का लाभ पाने के लिए व्यापारी को कर निर्धारण के समय विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र पेश करने होते है। कई बार व्यापारी ऐसे घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र अपने क्रेताओं से कर निर्धारण के दिनांक तक प्राप्त नहीं कर पाते है और इस कारण से उन पर कर निर्धारण में पूरी दर से करारोपण कर दिया जाता हैं इस प्रकार लगाया गया अतिरिक्त कर वास्तव में संदेय (Payable) नहीं होता है किन्तु तकनीकी कमी के कारण व्यापारी यह राशि लगा दी जाती हैं अतः यह निर्देश दिये

06/04/17

लगातार.......................3.

जाते है कि यदि ऐसे व्यापारी कर निर्धारण आदेश एवं मांग पत्र जारी होने के बाद भी यदि ऐसा घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र लाकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें मान्य किया जाकर स्वीकार कर लिया जाय तथा कर निर्धारण आदेश एवं मांग पत्र को संशोधित कर दिया जाए। जहॉ कर निर्धारण हो चुका है तथा मामले अपील आदि में विचाराधीन है उन मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से केस शीघ्र सुनवाई के लिए रखवाकर रिमाण्ड आदि कराये जा सकते है ताकि इस प्रकार की अनावश्यक मांग को समाप्त किया जा सके"

7. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि CST Rules 12(7) में दिनांक 1.10.2005 से संशोधन अनुसार घोषणा पत्र तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर ही पेश किये जा सकते है। अपीलार्थी ने घोषणा पत्र सभी तिमाहियों के 90 दिन के बाद पेश किये है तथा देरी से पेश करने हेतु समयावधि भी कर निर्धारण अधिकारी से नहीं बढ़वाई गई थी इसलिए कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपील अपास्त योग्य है।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। उद्धरित निर्णयों, परिपत्रों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की प्रस्तुती में हुयी देरी के कारण उक्त को अस्वीकार कर, आदेश पारित किया गया हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर नियम (पंजीयन एवं पर्ण्यावृत) 1957 के नियम 12(7) में संशोधन दिनांक 1.10.2005 को मानकर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा "सी" फार्म तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर प्रेस्क्राइब्ड अधिकारी के समक्ष पेश नहीं करने के आधार पर अपील अस्वीकार की गयी हैं। सी.एस.टी. रूल्स के प्रावधानों के होते हुए भी CST Act के तहत कर निर्धारण CST Act की धारा 9(2) अनुसार स्थानीय कानून के तहत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कर ब्याज तथा शास्ति निर्धारण विहित की गई है। इसलिए CST Act के तहत कर निर्धारण सपठित स्थानीय बिक्री कर प्रावधानों के मध्येनजर किये जाते है। अधिनियम की धारा 24 के तहत् नियमित कर निर्धारण स्व कर निर्धारण योजना के तहत CST Act के कर निर्धारण भी सम्पन्न होते है। **इस सबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम् हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेन्ट प्रॉडक्शन लि., 1994 एस.टी.सी.410 में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुत में हुयी देरी के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः-**

"..........The aforesaid observations show that the mere use of the words "the first assessing authority" in sub-rule (7) of Rule 12 cannot and does not mean, in the context and scheme of the enactments concerned herein, that the appellate authorities do not have the power to receive Form-C in appeal. This power can of course be exercised only where sufficient cause is shown by the dealer for not filing them up to the time of assessment before the first assessing authority. If in a given case, a dealer had

लगातार........................4.

26/04/17

obtained further time from the first assessing authority and yet failed to produce them before him, it is obvious that the appellate authority would adopt a stiffer standard in judging the sufficient cause shown by the dealer for not producing them earlier. It is necessary to reiterate that receipt of those forms in appeal cannot be a matter of course; it should be allowed only where sufficient cause is established by the dealer for not producing them before the first assessing authority as contemplated by Rule 12(7). The requirement of the said sub-rule cannot be excluded consideration by the appellate court, while judging the sufficiency of the cause shown. It must be remembered that is the primary obligation of the dealer and his failure to abide by it must be properly explained."

10. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.07.1985 का भी उल्लेख करना आवश्यक है जिसके जरिये आयुक्त द्वारा घोषणा पत्रों के अभाव में सृजित मांग को उचित नहीं बताते हुए घोषणा पत्र पेश करने पर मांग कम किये जाने की मंशा जाहिर की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में बकाया घोषणा प्रपत्र फार्म 'सी' प्रस्तुत नहीं किये गये थे। किन्तु यह समयावधि पश्चात् प्रस्तुत कर दिये गये थे, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत व आयुक्त द्वारा परिपत्र दिनांक 19.07.1985 के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि 'सी' फार्म को स्वीकार कर, कर एवं अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि को कम किया जाये।

11. उक्त विवेचनानुसार अपील को स्वीकार किया जाकर, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.11.2013 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 12.04.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप "सी" की जांच कर, नियमानुसार कायम किये गये 'कर' व अनवुर्ती ब्याज की मांग राशि में कमी करें।

12. निर्णय सुनाया गया ।

06/04/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य